क्रम संख्या–58 पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2016 ई०

चैत्र 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 105/XXXVI(3)/2016/13(1)/2016

देहरादून, 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 मार्च, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04 वर्ष, 2016)

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमित

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 9 वर्ष, 2013) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए –

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हों:–

सक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना

1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इस अधिनियम के लागू होनें से पूर्व उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम, 2012 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत कृत कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किये गए कार्य माने जायेंगे।

धारा 2 का संशोधन

2 (1) मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (ख) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्–

2(ख) "आयोग" से उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम, 2013 के अधीन गठित उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग से अभिप्रेत है,

धारा 20 की उपधारा (2) से उपधार(5) का निरसन

3 (1) मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा(2) से उपधारा (5) तक निरसित कर दी जाऐंगी।

धारा 21 से 25 का निरसन

4 (1) मूल अधिनियम की धारा 21 से धारा 25 तक निरसित कर दी जाऐंगी।

धारा 26 का प्रतिस्थापन

5 (1) मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात् –

26(1) "आयोग" उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम 24/2013 के अन्तर्गत प्रतिपादित कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन करेगा :–

अर्थात् –

(क) अधिनियम के अधीन जारी निर्णयों और आदेशों का प्रवर्त्तन करना।

(ख) जल कर के सम्बधित विवादों का न्याय निर्णय करना।

(ग) शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वाह करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

(घ) विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग में लाये गये जल के प्रवर्तन, नियन्त्रण और मापन हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

(ङ) सरकार द्वारा उसे सौंपे गये या निर्धारित किये गये अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

धारा 28 का प्रतिस्थापन

6 (1) मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्–

(28) आयोग के समक्ष सभी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, 219 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

धारा 36 का निरसन

7 (1) मूल अधिनियम की धारा 36 निरसित कर दी जाएगी।

धारा 37 का प्रतिस्थापन

8 (1) मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी; अर्थात्–

37(1) .एक निधि की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम आयोग निधि होगा जिसमें निम्नलिखित राशियों को जमा किया जायेगा :–

(क) सरकार द्वारा आयोग को दिये गये कोई अनुदान और ऋण ,

(ख) अधिनियम आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस,

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां,

(2) सरकार व्ययों की पूर्ति के लिए निधि के उपभोग की रीति विहित कर सकेगी।

धारा 38 से 40 का निरसन

9 (1) मूल अधिनियम की धारा 38 से धारा 40 तक निरसित कर दी जाएंगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,

प्रमुख सचिव।

No. 105/XXXVI(3)/2016/13(1)/2016
Dated Dehradun, March 31, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Water Tax on Electricity Generation (Amendment) Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 04 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 March, 2016.

THE UTTARAKHAND WATER TAX ON ELECTRICITY GENERATION (Amendment) ACT, 2016

(Act no. 04 of 2016)

An
Act

Further to amend the Uttarakhand Water Tax on Electricity Generation Act, 2012 (Uttarakhand Act No. 09 of 2013)

Be it enacted by the Uttarakhand state Legislative Assembly in the Sixty seventh year of the Republic of India as follows:

Short Title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Water Tax on Electricity Generation (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force atonce.

(3) Any action taken under the Uttarakhand Water Tax on Electricity Generation Act. 2012 (hereinafter referred as principal Act) shall be deemed to be action taken under the Act, 2016.

Amendment of Section 2

2. (1) In place of sub section (b) of section 2 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely :-

(2) (B) Commission means Uttarakhand Water Resources Management and Regulatory Commission, under the Uttarakhand Water Management and Regulatory, 2013

Repeal of sub section (2) To sub section (5) of section 20

3. Sub section (2) to sub section (5) of section 20 of the Principal Act, is here by Repealed.

Repeal of section 21 to section 25	4	(1) Section 21 to 25 of the Principal Act is here by Repealed.
substitution of Section 26	5	In place of section 26 of the Principal Act, the following section shall be substituted; namely:-

26(1) The Commission shall discharge the following functions in addition to the functions specified in Water Management and Regulatory Commission established under Uttarakhand Water Management and Regulatory Act 24 of 2013 ; namely:

(a) To enforce the decisions and orders issued under the Act

(b) To judicate upon the disputes regarding Water Tax.

(c) To ensure transparency while exercising the powers and discharging its functions;

(d) To establish a system of enforcement, monitoring and measurement of water drawn for electricity generation;

(e) To execute other functions as may be assigned to him or fix by the Government.

substitution of Section 28	6	In place of section 28 of the Principal Act, the following sub section shall be substituted; namely:-

28. All proceeding before the Commission shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code and the Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the code of Criminal Procedures, 1973.

Repealed of Section-36	7	Section 36 of the Principal Act, is here by Repealed.
substitution of Section. 37	8	In place of section 37 of the Principal Act, the following section shall be substituted; namely:-

37 (1) There shall be a fund constituted to be called the Commission fund and that shall be credited thereto,-

(a) any grants and loans made to the Commission by the Government;

(b) all fees received by the Commission under the Act;

(c) all sums received by the Commission from such other sources as may be decided upon by the Government.

(2) The Government may prescribe the manner of utilizing the fund for meeting the expenses.

Repealed of Section 38 to Section 40	9	Sections 38 to Section 40 of the Principal Act is here by Repealed.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

उद्देश्य एवं कारण

राज्य में विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिरोपित करने के लिए **"उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम, 2012"** अधिनियमित किया गया था, उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाईयाँ प्रशासनिक स्तर पर महसूस की जा रही है।

2— इन कठिनाईयों के निराकरण के लिए प्रस्तुत विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

3— उक्त विधेयक इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है।

यशपाल आर्य,
मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 विधायी / 191—2016—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।